हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विपणन भवन, खलीनी, शिमला–2 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2012 से 03/2013

भाग – एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक 2005 की धारा 48 (2) के अन्तर्गत तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या–1–487/99–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–554, दिनांक 20.01.2000 के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अवधि 4/2012 से 3/2013 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा पूर्वाकेक्षण के आधार पर किया गया है।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	4 (ख)(ii)	विभिन्न मण्डी समितियों सें दिनांक 31.3.13 को मण्डी शुल्क के रूप में वसूली योग्य राशि का शेष पाया जाना	630.95
2	5	विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाये गये डिपोजिट कार्यो हेतु प्राप्त राशि के समायोजन में अन्तर पाया जाना	375.23
3	6	आयकर (Income Tax Recoverable Account) की वसूली योग्य राशि का समायोजन न करना	373.70
4	7	निर्माण कार्यों के लिए दी गई अग्रिम राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	47.72
5	8	कर्मचारियों/अधिकारियों व अन्य संस्थाओं को दी गई अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	1.44

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण परीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित अनुच्छेदों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने पर पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। अतः अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीध्र आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से इस कार्यालय को शीध्र अवगत करवाया जाए।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री जगजीत सिंह पटियाल (सहायक नियन्त्रक) श्री सोम राज कपूर (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) तथा श्रीमती पूजा शर्मा (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) द्वारा पूर्व लेखा परीक्षा प्रणाली के आधार पर किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया। विपणन बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा में कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाये जाने के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013 के लेखाओं के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षण शुल्क ₹14,02,210/– (चौदह लाख दो हजार दो सौ दस) आंका गया। विपणन बोर्ड द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि चैक संख्या 791647 दिनांक 20.9.2013 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के कार्यालय में जमा करवा दी गई हैं।

4 वार्षिक लेखे (Annual Accounts):-

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2012 से 31.3.13 के वार्षिक लेखें चार्टड आकऊटैन्ट द्वारा तैयार किए गए। वार्षिक लेखों का विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है।

(ख) Financial Analysis on the Accounts of H.P State Agricultural Marketing Board Shimla for the period 4/12 to 3/13

Financial Data for the last three years

Income (in lacs)

Period	Share of Market Fees from APMC	Interest on FDR's and Saving A/C(s)	Other Income	Total Income
2010-11	405.42	100.98	4.15	510.55
2011-12	575.53	158.71	9.01	743.25
2012-13	645.65	287.27	6.68	939.60

Expenditure (in lacs)

Period	Salary +wages	Admn. Charges	Vehicle R+M	Other Exp.	Excess of Income over Exp.	Total
2010-11	185.70 (36.37%)	27.84 (5.45%)	8.86 (1.73%)	23.07	265.08	510.55
2011-12	175.60 (23.62%)	23.91 (3.21%)	9.15 (1.23%)	24.51	510.08	743.25
2012-13	205.25 (21.84%)	19.38 (2.06%)	9.41 (1.00%)	24.21	681.35	939.60

Note:- (Figures mentioned in the brackets are expressed as % of total income)

(i)A review of Financial Data of H.P State Agricultural Marketing Board for the last three years enumerated above reveals that there is definite increase in the income of the Board in the year 2012-13 as compared to 2010-11 & 2011-12. The major reasons for this increase is due to realization of more market fee etc. from Market Committees. It is pertinent to mention here that during the year 2012-13, 25% share of market fees etc. amounting to Rs. 645.65 lacs have being realized by Market Board from various Marketing Committees as compared to Rs.575.53 lacs which was realized during the period for 2011-12.

(ii) It is noticed from the record that the outstanding amount of 25% share of Market Fee which is recoverable from various market committees is Rs. 630.95 lacs as on 31-3-13 **(परिशिष्ट "ग")**. Therefore, efforts may be made for realizing the outstanding market fees etc. because as per provisions contained under section – 44 of H.P State, Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act –2005, every market committee is required to charge market fee on sale and purchase of notified agricultural produce @ 1% and further as per provisions contained under section 49(3) of the Act, 25% share of market fee so received shall be deposited by all the Market Committees with the Board.

(ग) **Staff/Man power of the Board :-**

The position of total sanctioned posts of the Board, filled up post and vacancy position for the last three years is as under:-

Year	Total Sanctioned Post	Filled up posts	Vacant
2010-11	61	41	20
2011-12	61	44	17
2012-13	60	41	19

Note:- The detailed position of various posts for the year 2012-13 is given in **(परिशिष्ट घ)**, which is attached with this audit report.

5 विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाए गये डिपोजिट कार्यो हेतु प्राप्त राशि के समायोजन में ₹375.23 लाख का अन्तर पाया जाना :—

विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाए गये डिपोजिट कार्य हेतु समय—समय पर धन राशि प्राप्त की गई है। इन कार्यो के निष्पादन हेतु सम्बन्धित संविदाकारों को भुगतान करने के लिए अधिशाषी अभियन्ता को अग्रिम राशि भुगतान की गई है तथा शेष राशि को समिति—वार बैंक खातों में रखा गया दर्शाया गया है। विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए किए गए कार्यों से सम्बन्धित असमायोजित राशियों को **अनुसूचि—II** में दर्शाया गया है तथा दिनांक 31.3.2013 को "Capital Work in Progress" शीर्ष के अन्तर्गत ₹44746221—₹220207= ₹44526014 के कार्य Assets के रूप में दर्शाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन डिपोजिट कार्यो के निष्पादन हेतु सम्बन्धित संविदाकारों को भुगतान करने के लिए दिनांक 31.3.2013 को अधिशाषी अभियन्ता के खाते में **अनुसूचि—II** में Assets के रूप में ₹136613002/—शेष दर्शाई गई है। इस प्रकार इस शीर्ष में विपणन बोर्ड के Assets के रूप में ₹44526014+₹136613002= **₹181139016** शेष दर्शाए गए है। उक्त ₹181139016/— के विरूद्ध विपणन बोर्ड में इन डिपोजिट कार्यो हेतु विभिन्न समितियों से प्राप्त राशियों को तुलन पत्र की **अनुसूचि—IV** में दर्शाया गया है तथा दिनाँक 31.3.2013 को **अनुसूचि—IV** में **"Current Liabilities "** शीर्ष के अन्तर्गत ₹137450220 असमायोजित दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त **अनुसूचि—IV** में ठेकेदारों को ₹6165619/— प्रतिभूति (Security) के रूप में देय है। इस प्रकार विपणन बोर्ड द्वारा इन निर्माण कार्यो से सम्बन्धित कुल देनदारियां ₹137450619+₹6165619=**₹143615839** शेष दर्शाई गई है। इस प्रकार विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाए गए डिपोजिट वर्कस/कार्यो के अन्तर्गत बोर्ड के खातों में ₹181139016-₹143615839=₹37523177 का अन्तर पाया गया। अतः अन्तर की इस राशि की संस्था स्तर पर पूर्ण छानबीन करके इन राशियों का मिलान किया जाए तथा इन सभी राशियों को समायोजित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 आयकर (Income Tax Recoverable Account) की वसूली योग्य ₹373.70 लाख का समायोजन न करनाः—

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की **अनुसूचि-III,** (Current Assets, Loans and Advances) लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2013 को आयकर वापसी खाते में ₹37370582 समायोजन हेतु शेष दर्शाई गई है। इस लेखा शीर्ष की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि यह राशि वर्ष 2004—05 से संचित होती आ रही है तथा दिनाँक 31.3.2013 को इस असमायोजित राशि का शेष ₹37370582

था। अतः विपणन बोर्ड को सुझाव दिया जाता है कि इस राशि की वसूली करने/समायोजन करने हेतु इस प्रकरण में भी त्वरित कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाये।

7. निर्माण कार्यों के लिए दी गई अग्रिम ₹47.72 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना:–

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र के की **अनुसूचि-III,** (Current Assets Loans and Advances) लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2013 को निर्माण कार्यो के लिए अग्रिम राशि के खाते में ₹4771990 का शेष दर्शाया गया है। इस लेखा शीर्ष की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि यह राशियाँ विभिन्न संस्थाओं को निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु भुगतान की गई है लेकिन इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र विपणन बोर्ड द्वारा प्राप्त नहीं किये गये है और न ही इन राशियों का समायोजन किया गया है। अतः भुगतान की गई इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके तदानुसार इन राशियों को समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8. कर्मचारियों/अधिकारियों व अन्य संस्थाओं को दी गई अग्रिम ₹1.44 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :–

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की **अनुसूचि-III,** (Advances to Staff) लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दिनाँक 31.3.2013 को अधिशाषी अभियन्ता को दिए गए अग्रिम तथा House Building Advance के अतिरिक्त स्टॉफ अग्रिम एवं अन्य सस्थाओं के खाते में ₹144916 समायोजन हेतु शेष दर्शाई गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	श्री अरविन्द कुमार कनिष्ठ अभियन्ता	5000
2	श्री कृष्ण लाल ड्राईवर	10000
3	श्री जगदीश राज ड्राईवर	20000
4	डाक टिकटों हेतु अग्रिम	10000
5	श्री हंस राज कपूर	6000
6	श्री सुखराम कनिष्ठ अभियन्ता	85316
7	एम0डी0एच0पी0 स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स	8600
	योग	**₹144916**

अतः उपरोक्त असमायोजित अग्रिम राशियों का समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इन राशियो का समायोजन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न बैंकों को बचत खातों में जमा ₹142847132, सावधि जमा के खाते में जमा ₹219531996 तथा सी0 पी0 एफ0 के सावधि/बचत खाता में जमा ₹94850481 के बारे में:–

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की **अनुसूचि-III** में दिनांक 31.3.13 को विभिन्न बैंकों में बचत खातों में ₹142847132 जमा दर्शाई गई परन्तु इन खातों में दर्शाई गई राशियों का मिलान विपणन बोर्ड द्वारा बैंक विवरणी सहित नही किया गया और न ही बैंको में जमा राशि व बैंक सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए गए। अतः इन राशियों का मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की **अनुसूचि-III** के अनुसार दिनांक 31.3.13 को सावधि जमा योजना में ₹219531996 निवेशित की गई दर्शाई गई है जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ड़"** में दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त विपणन बोर्ड द्वारा सी0पी0एफ0 से सम्बन्धित सावधि जमा योजना में भी ₹92218178 निवेशित की गई है जिसका विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है तथा विपणन बोर्ड द्वारा सी0पी0एफ के बचत खाते में भी ₹2632303 निवेशित की गई है।

10. चालू देनदारियॉ/संविदाकारों की प्रतिभूतियों से सम्बन्धित ₹6280549/– लाख का विवरण न दिए जाने बारे:–

विभिन्न संविदाकारों की प्रतिभूतियों से सम्बन्धित ₹6280549/– की देनदारियॉ **अनुसूचि–IV** में दर्शाई गई है। इन राशियों का प्रति व्यक्ति/ठेकेदार की देनदारी से सम्बन्धित विस्तृत विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः उक्त विवरण तैयार करके इनका प्रतिभूति रजिस्टर तथा सम्बन्धित अभिलेख के साथ मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि विभिन्न संविदाकारों की प्रतिभूति राशियों की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

11. सी0पी0एफ0 लेखों में दायित्व के अन्तर के बारे में:–

(क) विपणन बोर्ड के वर्ष 2012–13 के तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में **अनुसूचि–IV** में ₹53632256+₹42361817+₹267787=**₹96261860** दायित्व के रूप में दर्शाई गई है जबकि अंशदान भविष्य निधि रजिस्टर तथा उससे सम्बन्धित प्रस्तुत विवरणी जो कि **परिशिष्ट "छ"** पर संलग्न है, के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्त में अंशदायी भविष्य निधि के खातों के अन्तर्गत **₹94599676** देय थी। इस प्रकार अंशदायी भविष्य में निधि के खातो में ₹96261860–₹94599676=₹1662184 दायित्व पक्ष में अधिक दर्शाई गई है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ख) इसके अतिरिक्त हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वर्ष 2012–13 के तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि तुलन पत्र में अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) की देनदारियों व निवेशों को भी सम्मिलित किया गया है जो कि नियमानुसार सही नही है। इससे विपणन बोर्ड की वित्तीय स्थिति सही एवं वास्तविक परिलक्षित नहीं होती। अतः इसे अलग से दर्शाया जायें।

12. विभिन्न विभागों से विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त राशियों के बारे में:–

विपणन बोर्ड के तुलन–पत्र की **अनुसूचि–IV** में वर्णित विभिन्न विभागों से विभिन्न कार्यो हेतु प्राप्त की गई राशियों के बारे में भी पूर्ण विवरण अभिलेख सहित दिया जाए तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह राशि किस–2 उद्देश्यों हेतु प्राप्त की गई है।

13. बचत खातों पर प्राप्त ब्याज के बारे में:–

विपणन बोर्ड के बचत खातो पर प्राप्त ब्याज की राशियों में निम्नविवरणानुसार ₹1119583 विभिन्न विपणन समितियों द्वारा डिपोजिट वर्क हेतु बोर्ड में जमा राशियों पर प्राप्त ब्याज की राशि के रूप में भी सम्मिलित की गई है जबकि विपणन समितियो के डिपोजिट वर्क की राशियों पर प्राप्त ब्याज की गणना सम्बन्धित विपणन समितियों द्वारा जमा राशियों के साथ जोड़कर की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार वार्षिक लेखों में तदानुसार शुद्धि की जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रकरण में उचित कार्रवाई की जाए तथा इस प्रकार की अनियमितता को दोबारा न दोहराया जाए।

क्र0सं0	**विपणन समिति का नाम/खाता संख्या**	**ब्याज की प्राप्त राशि**
1	मण्डी समिति चम्बा खाता संख्या 1648	26098
2	मण्डी समिति कांगड़ा खाता संख्या 1651	52436
3	मण्डी समिति कुल्लू खाता संख्या 1684	39482
4	मण्डी समिति बिलासपुर खाता संख्या 1783	45652
5	मण्डी समिति सोलन खाता संख्या 1834	9860
6	मण्डी समिति शिमला खाता संख्या 1835	718470
7	मण्डी समिति सिरमौर खाता संख्या 1956	91755
8	मण्डी समिति ऊना खाता संख्या 2011	63187
9	मण्डी समिति हमीरपुर खाता संख्या 2260	1554
10	मण्डी समिति मण्डी खाता संख्या 2364	71089
	योग	**₹1119583**

14. **चालू देनदारियॉ (Current Liabilities) शीर्ष के अंतर्गत ₹12.77 लाख की आय को गलत ढंग से दर्शाया जानाः—**

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र में **अनुसूचि—IV** में चालू देनदारियॉ **(Current Liabilities)** के उपशीर्ष अन्य देनदारियों के अन्तर्गत ₹12.77 लाख दर्शाई गई है जबकि यह राशि विभिन्न विपणन समितियों से उनको बोर्ड द्वारा जारी की गई प्रिंटग स्टेशनरी की लागत के रूप में प्राप्त की गई है जिसे बोर्ड के लाभ—हानि खाते में आय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। अतः इस प्रकार ₹12.77 लाख की आय को चालू देनदारियों शीर्ष के अन्तर्गत गलत दर्शाया गया है जिसे अब उचित शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

15. **विभिन्न विपणन समितियों के निर्माण कार्यों पर खर्च की गई ₹44526054 को "Work in progress" शीर्ष के अन्तर्गत गलत ढंग से दर्शाया जानाः—**

विपणन बोर्ड के वर्ष 2012—13 के तुलन पत्र की **अनुसूचि—II** में "Work in progress" शीर्ष के अन्तर्गत ₹44746261 बोर्ड की सम्पति के रूप में दर्शायी गई है जिसमें से ₹44746261—₹220207=₹44526054 विभिन्न विपणन समितियों के निर्माण कार्यों पर खर्च की गई राशि है, जोकि बोर्ड की सम्पति नहीं है फिर भी तुलन पत्र में इसे बोर्ड की सम्पति के रूप में "Work in progress" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है जिससे बोर्ड की सम्पति एंव दायित्यों की वितीय स्थिति सही तथा वास्तविक परिलाक्षित नहीं होती। इस राशि को विभिन्न समितियों से प्राप्त अग्रिम राशि से कम करके दर्शाया जाना चाहिए था। अतः उपरोक्त ₹44526054 को उचित शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. **भूमि एवं भवन (Land and Building) पर मूल्य ह्रास (Depreciation) की ₹5,94,149 को गलत दर्शाया जानाः—**

विपणन बोर्ड के वर्ष 2012—13 के तुलन पत्र की **अनुसूची—I,** स्थाई परिसम्पति (Fixed Assets) के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2012—13 में स्थाई परिसम्मतियों पर मूल्य ह्रास की ₹12,09,697.98 को दर्शाया गया है जिसमें भूमि एवं भवन के मूल्य ह्रास की ₹594149.68 भी शामिल है। आयकर अधिनियम के अनुसार भूमि पर मूल्य ह्रास का कोई प्रावधान नहीं है। अतः भूमि एवं भवन की लागत में से भूमि की लागत को अलग किया जाए तथा केवल भवन की लागत पर ही मूल्य ह्रास लगाया जाए ताकि विपणन बोर्ड के लाभ व हानि की सही स्थिति परिलक्षित हो सके।

18. **रिट्रैचमैन्टः—**

वर्ष 2012—13 के दौरान ₹1127375 की कटौती बोर्ड के विभिन्न बिलों के पूर्वा अंकेक्षण के दौरान की गई।

19. **निष्कर्षः—**

लेखाओं के रख रखाव में सुधार हेतु आन्तरिक पर्यवेक्षण को मजबूत किया जाना आवश्यक है। विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों से दिनाँक 31.3.2013 तक ₹6,30,95,640 बतौर मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत भाग वसूली हेतु शेष है जिसकी वसूली हेतु विशेष पग उठाये जाने की आवश्यकता है ताकि उक्त राशि का विपणन बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन अधिनियम की धारा 46 (4) के अन्तर्गत प्रावाधनित प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा सके।

हस्ता/

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 30/76, खण्ड—9—3546—48 दिनांक 19.06.2015
शिमला—09

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला—02 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरों पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
2. विशेष सचिव (कृषि), हि0प्र0 शिमला—171002
3. सहायक नियन्त्रण (लेखा—परीक्षा), प्रभारी अंकेक्षण योजना हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला—02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

हस्ता/

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट (क) पैरा 1 (ग)

(क) अवधि 04/83 से 03/84

बोर्ड के अवधि 4/83 से 3/84 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अंकेक्षण आपत्तियों पर की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित नहीं किया गया जिस पर अभी भी कार्रवाई अपेक्षित है। अतः लम्बित आपत्तियों के निपटारे हेतु उचित कार्रवाई करके अनुपालना से यथाशीध्र अंकेक्षण को सूचित किया जाए। अवधि 4/83 से 3/84 के अनिर्णीत पैरो का विवरण निम्न प्रकार से है।

पैरा संख्या

2 (a) to (c)	3	4	5 (a) to(b)	6 (a) to (c)	7	8 (a) to (c)	9 (a) to b)
10	11	12 (a) to (i)	13 (a) to c)	14 (a) to (e)	15 (i) to xi)	16 (i) to (xxiv)	कुल पैरा = 15

(ख) अवधि 4/01 से 3/03

1	पैरा–7	अनिर्णीत	
2	पैरा–11 (1)	अंशतः निर्णीत	(श्री अशोक वत्तस, कनिष्ठ अभियन्ता तथा श्री एम0सी0 थामस, कनिष्ठ अभियन्ता के क्रमशः ₹14953 तथा ₹16428 के प्रतिनियुक्ति भते के रूप में वसूली हेतु शेष है)
3	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत	
4	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा–20 (2)	अनिर्णीत	
6	पैरा–21 (3)	अनिर्णीत	
7	पैरा–23	अनिर्णीत	
8	पैरा–24 (1)	अनिर्णीत	
9	पैरा–24 (3) (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–25	अंशतः निर्णीत	(श्री एम0सी0 थामस, कनिष्ठ अभियन्ता से ₹1615 वसूली हेतु शेष है)
11	पैरा–30	अनिर्णीत	(श्री सुख राम कनिष्ठ अभियन्ता को भुगतान की गई ₹95316 का समायोजन करना शेष है)

12	पैरा—31 (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा—32	अनिर्णीत	
14	पैरा—33 (1) (2)	अनिर्णीत	
15	पैरा—33 (3) (4)	अनिर्णीत	
16	पैरा—33 (5 से 17)	अनिर्णीत	
17	पैरा—34 (1 से 14)	अनिर्णीत	
18	पैरा—35 (1 से 15)	अनिर्णीत	
19	पैरा—36 (1 से 4)	अनिर्णीत	
20	पैरा—36 (6)	अनिर्णीत	
21	पैरा—36 (10)	अनिर्णीत	
22	पैरा—40 (1 से 4)	अनिर्णीत	
23	पैरा—41 (1 से 4)	अनिर्णीत	
24	पैरा—45 (1 से 3)	अनिर्णीत	
25	पैरा—48 (1 से 2)	अनिर्णीत	
26	पैरा—50	अनिर्णीत	
27	पैरा—51	अनिर्णीत	
28	पैरा—52 (1 से 11)	अनिर्णीत	
29	पैरा—56 (3, 4)	अनिर्णीत	
30	पैरा—59 (1, 2, 5)	अनिर्णीत	
31	पैरा—61 (3)	अनिर्णीत	
32	पैरा—86 (1)(2)	अनिर्णीत	

(ग) अवधि 4/03 से 3/04

1	पैरा—(5) (6) (8) (9) (10)	अनिर्णीत	
2	पैरा—16 (घ)(ड़)	अनिर्णीत	
3	पैरा—18 (छ)	अनिर्णीत	
4	पैरा—20 (ड.)	अनिर्णीत	
5	पैरा—22 (1) (2)(3) (क)(4) (क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	

6	पैरा–23 (क)(ख)(ग)(घ)	अनिर्णीत	
7	पैरा–27(1)(2)	अनिर्णीत	
8	पैरा–31	अनिर्णीत	
9	पैरा–32	अनिर्णीत	
10	पैरा–35 (क)(ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा– 37	अनिर्णीत	
12	पैरा– 38	अनिर्णीत	
13	पैरा– 43	अनिर्णीत	
14	पैरा– 45 (ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा–46	अनिर्णीत	
16	पैरा– 47	अनिर्णीत	
17	पैरा– 48	अनिर्णीत	
18	पैरा–49	अनिर्णीत	
19	पैरा–50	अनिर्णीत	
20	पैरा–53	अनिर्णीत	

(घ) अवधि 4/04 से 3/05

1	पैरा–6	अनिर्णीत	
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	अनिर्णीत	
4	पैरा–9	अनिर्णीत	
5	पैरा–10	अनिर्णीत	
6	पैरा–11	अनिर्णीत	
7	पैरा–12	अनिर्णीत	
8	पैरा–13	अनिर्णीत	
9	पैरा–15	अनिर्णीत	

10	पैरा—16	अनिर्णीत	
11	पैरा—18	अनिर्णीत	
12	पैरा—19	अनिर्णीत	
13	पैरा—20	अनिर्णीत	
14	पैरा—21	अनिर्णीत	
15	पैरा—22	अनिर्णीत	
16	पैरा—23	अनिर्णीत	
17	पैरा—24	अनिर्णीत	
18	पैरा—25	अनिर्णीत	
19	पैरा—26	अनिर्णीत	
20	पैरा—28	अनिर्णीत	
21	पैरा—29	अनिर्णीत	
22	पैरा—30	अनिर्णीत	

(ङ) अवधि 4/05 से 3/06

1	पैरा—4	अनिर्णीत	
2	पैरा—(5,7)	अनिर्णीत	
3	पैरा—10	अंशतः निर्णीत	
4	पैरा—13 (4)	अनिर्णीत	
5	पैरा— 14	अनिर्णीत	
6	पैरा—15	अनिर्णीत	
7	पैरा—16	अनिर्णीत	
8	पैरा—17 (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा—18	अनिर्णीत	
10	पैरा—20	अनिर्णीत	

(च) अवधि 4/06 से 3/07

1	पैरा–4	अनिर्णीत	
2	पैरा–8	अनिर्णीत	
3	पैरा–9	अंशतः निर्णीत	
4	पैरा–10	अनिर्णीत	
5	पैरा–11	अनिर्णीत	
6	पैरा–12	अनिर्णीत	
7	पैरा–15	अनिर्णीत	
8	पैरा–16	अनिर्णीत	
9	पैरा–17	अनिर्णीत	
10	पैरा–19	अनिर्णीत	
11	पैरा–20	अनिर्णीत	

(छ) अवधि 4/07 से 3/08

1	पैरा–4	अनिर्णीत	
2	पैरा–(6,7)	अनिर्णीत	
3	पैरा–9	अनिर्णीत	
4	पैरा–10	अनिर्णीत	
5	पैरा–11	अनिर्णीत	
6	पैरा–12	अनिर्णीत	
7	पैरा–13	अनिर्णीत	
8	पैरा–15	अनिर्णीत	
9	पैरा–16	अनिर्णीत	

10	पैरा—17	अनिर्णीत	
11	पैरा—20	अनिर्णीत	
12	पैरा—21	अनिर्णीत	
13	पैरा—22	अनिर्णीत	
14	पैरा—23	अनिर्णीत	
15	पैरा—24	अनिर्णीत	

(ज) अवधि 4/08 से 3/09

1	पैरा—4	अनिर्णीत	
2	पैरा—(6, 7, 8, 9, 10)	अनिर्णीत	
3	पैरा—12	अनिर्णीत	
4	पैरा—15	अनिर्णीत	
5	पैरा—16	अनिर्णीत	

(झ) अवधि 4/09 से 3/10

1	पैरा—(6, 7, 8, 9)	अनिर्णीत	

(ण) अवधि 4/10 से 3/11

1	पैरा— 14	अनिर्णीत	
2	पैरा— 15	अनिर्णीत	

(ट) अवधि 4/11 से 3/12

1	पैरा— 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क)
2	पैरा— 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शायी गई)
3	पैरा— 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शायी गई)

4	पैरा– 6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शायी गई)
5	पैरा– 7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शायी गई)
6	पैरा– 8	निर्णीत	(ऋण की वसूली कर ली गई है)
7	पैरा– 9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शायी गई)
8	पैरा– 10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शायी गई)
9	पैरा– 11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शायी गई)
10	पैरा– 12	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शायी गई)
11	पैरा– 13	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शायी गई)
12	पैरा– 14	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शायी गई)
13	पैरा– 15	अनिर्णीत	
14	पैरा– 16	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शायी गई)
15	पैरा– 17	निर्णीत	(रिट्रैचमैन्ट पुनः प्रारूपित)

	अनिर्णीत पैरों का विवरण		
	प्रारम्भिक शेष	148	
	वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान लगाए गए पैरे	+16	
	वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	-14	
	अन्तशेष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/12 से 3/13 तक)	150	